संख्या: 58/2016/934/छप्पन-2016-95/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2016

विषय: कैप्टन सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर के प्रस्तावानुसार शुल्क भुगतान के आधार पर बेल-412 के डी0 लेवल सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 28/ना0उ0नि0/आप्स/17-2016, दिनांक 24.6.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैप्टन सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में शुल्क भुगतान के आधार पर डी0 लेवल सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग/क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 15 मई, 2016 से दिनांक 19 मई, 2016 तक का प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ था, किन्तु प्रशिक्षण से पूर्व आदेश निर्गत नहीं किया जा सका। आदेश निर्गत होने की प्रत्याशा में कै0 कौरा इंगित प्रशिक्षण प्राप्त कर आये हैं। प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद कै0 कौरा ने प्रशिक्षणदाता फर्म मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में ट्रेनिंग फीस रूपये 7,02,017/- तथा एकोमोडेशन शुल्क रूपये 14,484/- कुल रूपये 7,16,501/- (रूपये सात लाख सोलह हजार पॉच सौ एक मात्र) का बीजक भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः राज्यपाल महोदय कैप्टन सुनील कौरा को दिनांक 15 मई, 2016 से दिनांक 19 मई, 2016 तक मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर सिमुलेटर पर कराई गई ट्रेनिंग की कार्योत्तर स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क एवं एकोमोडेशन शुल्क के व्यय हेतु रूपये 7,16,501/- (रूपये सात लाख सोलह हजार पॉच सौ एक मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मैसर्स हैट्स आफॅ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर के बैंक खाते में वायर ट्रांसफर द्वारा किया जाय। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानित धनराशि से अधिक न हो तथा यात्रा व्यय का भुगतान 04-यात्रा व्यय के मद में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कैप्टन सुनील कौरा के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर स्वीकृत धनराशि का समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19.10.2015 एवं शासनादेश संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 58/2016/934(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बैंगलौर।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।